

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:-एफ-2( )बजट/अति.आं.व./ICDS/18/193332-342

जयपुर,दिनांक:  
31-10-18

बाल विकास परियोजना अधिकारी,  
समेकित बाल विकास सेवाएँ,  
.....जिला.....

विषय:- अतिरिक्त बजट आवंटन वर्ष 2018-19 बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत परियोजना कार्यालयों से प्राप्त मांग पत्रों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आई.सी.डी.एस. सामान्य के विभिन्न उपमदों के अंतर्गत निम्न बजट मदों में अतिरिक्त आवंटन किया जाता है:-

नोन टी.एस.पी. परियोजनाओं के लिए	
मांग संख्या-33	
2236- पोषण	
02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण	
197- ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता	
(01)- समेकित बाल विकास सेवाएँ विभाग के माध्यम से	
[02]- ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायत स्तरीय संस्थापन व्यय (केन्द्रीय सहायता/राज्य निधि)	

(राशि लाखों में)

क. सं.	नाम कार्यालय	उपमद	बजट मद	पूर्व आवंटन	अति. आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	बाविपअ, डीग	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	7.50	5.00	12.50
			राज्य निधि	22.50	15.00	37.50
			राज्य निधि-ब	15.00	5.00	20.00
		05. कार्यालय व्यय	राज्य निधि-ब	0.40	0.10	0.50
		37. वर्दी व्यय	राज्य निधि-ब	0.00	0.02	0.02
2	सेवर	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	7.50	5.00	12.50
			राज्य निधि	22.50	15.00	37.50
			राज्य निधि-ब	15.00	5.00	20.00
3	धोरीमन्ना II	36. वाहन किराया	केन्द्रीय सहायता	1.32	0.12	1.44
			राज्य निधि	0.88	0.08	0.96
4	चित्तौडगढ ग्रा.	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	7.50	5.00	12.50
			राज्य निधि	22.50	15.00	37.50
			राज्य निधि-ब	15.00	5.00	20.00
		20. वाहन संधारण	केन्द्रीय सहायता	0.30	0.06	0.36
			राज्य निधि	0.20	0.04	0.24
5	बांदीकुई I	36. वाहन किराया	केन्द्रीय सहायता	1.08	0.36	1.44
			राज्य निधि	0.72	0.24	0.96
6	धौलपुर ग्रा.	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	7.50	5.00	12.50
			राज्य निधि	22.50	15.00	37.50
			राज्य निधि-ब	15.00	5.00	20.00
7	शाहपुरा 312192	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	7.50	5.00	12.50
			राज्य निधि	22.50	15.00	37.50
8	औसियां I	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	7.50	5.00	12.50
			राज्य निधि	22.50	10.00	17.50
9	कुचामन सिटी	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	7.50	5.00	12.50
			राज्य निधि	22.50	15.00	37.50
			राज्य निधि-ब	15.00	5.00	20.00
10	राजसमंद ग्रा.	36. वाहन किराया	केन्द्रीय सहायता	0.00	0.60	0.60
			राज्य निधि	0.00	0.40	0.40
11	फतेहपुर ग्रा.	01. संवेतन	राज्य निधि-ब	15.00	5.00	20.00

उक्तानुसार आवंटित राशि का उपयोग आरटीपीपी एक्ट 2012, आरटीपीपी रूल्स 2013 एवं सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार मैचिंग शेयर के अनुपात एवं विभाग के परिपत्र क्रमांक 121369 दिनांक 15.9.16 के अनुसार कार्यालय व्यय मद अंतर्गत राशि 0.60 लाख प्रतिवर्ष अधिकतम के नॉमर्स की सीमान्तर्गत व्यय सीमित रखना जाना सुनिश्चित करावें।

क्रमांक:-एफ-2( )बजट/अति.आंव./ICDS/18/19531/3-3653  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग.....।
2. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

वित्तीय सलाहकार

जयपुर, दि:

31-10-18

वित्तीय सलाहकार